DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024

DILLI GRAMODAYA ABHIYAN

List five key problems of villages, find solution in two days: L-G to DMs

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 1

Delhi L-G VK Saxena

AT A meeting to review the progress of 'Dilli Gramodaya Abhiyan', L-G VK Saxena Thursday directed the District Magistrates who visited the capital's villages under the initiative to list five of the most important problems they had observed on the ground and find workable solutions for these within two days.

The DMs, under Saxena's instructions, had visited a few villages on two occasions – on January 7 and 8, and on January 27 and 28 when they even stayed there overnight. Apart from interacting with residents of the identified villages as well as the neighbouring villages, the officials sought firsthand experience and feedback about the problems being faced by them.

"The L-G had instructed for this exercise to be undertaken so that developmental and upgradation projects under the Dilli Gramoday Abhiyan being implemented by the DDA could be in sync with the actual deficiencies and demands on ground," officials said.

The DMs had visited these areas along with officials of stakeholder departments and agencies, including the DDA, MCD, PWD and DJB, following which they shared their experiences and apprised Saxena of feedback from the ground regarding issues such as lack of civic infrastructure, connectivity and sanitation.

Officials said the L-G directed the DMs to submit a report listing five of the most important issues being faced by villages in their respective districts within two days and also list tangible projects to address them.

"He advised that these projects, to be undertaken as part of the programme, be implemented within the shortest possible time frame so that people could start benefiting from them immediately," the official further said.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024

Illegal construction: MCD behind half of poor AQI, says HC

Abhinav.Garg@timesgroup.com

HIGH COURT SAYS

So much unauthorised construction is going on. It is visible from one kilometre and that too in the heart of the city

New Delhi: The capital has been reduced to a slum, an angry Delhi High Court said on Thursday, lashing out at the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Delhi Development Authority (DDA) while hearing several cases of illegal construction.

"So much unauthorised construction is going on. It is visible from one kilometre and that too in the heart of the city," the court noted in a case of illegal construction near the Nizamuddin police station.

The court said even after rains, the air quality index (AQI) remains poor, adding that "half of it is contributed by MCD" due to unauthorised constructions allowed by it.

"First your officers make money in allowing construction, then again in demolishing structures…this *jugalbandi* has to be stopped…very sad affairs you have reduced the city to," an anguished bench of acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet PS Arora remarked, upset with the failure of MCD and DDA to act against unauthorised construction near Nizamuddin ki Baoli and Barakhamba Tomb, two centrally-protected monuments.

The bench was incensed to note that despite a claim by the civic body that the premises were sealed, illegal construction resulted in addition of extra floors to an already-sealed guesthouse that was illegally built on a DDA land near the monuments.

Directing the presence of the owner of the building, the court said "prima facie, the matter requires investigation by CBI". This "ping-pong between" the authorities will stop after CBI gets into action, it remarked, indicating an order to this effect may be passed.

"In New Delhi area, this is happening. What is happening in far-flung areas?" the bench wondered, demanding an explanation on how construction was carried out between the second and fifth floors when the lower floors were never desealed.

The proceedings took place on a public interest litigation filed by NGO Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society. The plea alleged that DDA, MCD, Delhi Police and Archaeological Survey of India had failed to stop the construction at the guesthouse, located within 100 metres of the centrally-protected monuments.

It also contended that a large number of similar guesthouses had been allowed to operate in the area and the structures posed threats to the environment, heritage and cultural significance of the area.

The plea has sought a direction to the authorities to "fulfil their constitutional obligations and duties" and stop the alleged illegal and unauthorised construction at the guesthouse.

On Thursday, the court came across three-four petitions complaining of authorities either ignoring or failing to check illegal constructions. It was unhappy that in one case, DDA had sat quiet while unauthorised construction took place and later told the court that it was no longer in the possession of the premises.

On Wednesday, the bench had pulled up MCD officials for illegal and unauthorised construction in Chandani Mahal.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI , FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024

LG directs chief secy, other senior officials to stay a night in villages

TIMES NEWS NETWORK

The visits of the top bureaucrats of the capital will be part of the Dilli Gramodaya Abhiyan, launched by Saxena for development of Delhi's villages

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Thursday directed the chief secretary, principal secretaries and secretaries, and heads of various departments to visit and stay in the villages overnight in the second week of Feb.

The visits of the top city bureaucrats will be part of the 'Dilli Gramodaya Abhiyan', launched by Saxena for development of Delhi's villages.

In a meeting at his secretariat, LG also took feedback from all district magistrates who made two visits to the identified villages in Jan and stayed there overnight. Saxena asked the DMs to submit a report listing five most important problems plaguing the city's rural and urbanised villages and their workable solutions within two days.

Saxena listened to the experiences gathered by the DMs over their last two visits to the villages and their 'samvaad' (interaction) with the residents on Jan 7-8 and 27-28 on common problems affecting the villagers.

The DMs' visits were planned to ensure the developmental and welfare projects being implemented by Delhi Development Authority (DDA) were in sync with the actual deficiencies and demands on ground," said a Raj Niwas official.

While DDA has recently got over Rs 800 crore, the gram sabha fund that was earlier in control of the revenue department of Delhi govt, for the rejuvenation of nearly 200 urbanised villages, 49 rural villages would be rejuvenated from Rs 480 crore of the village development fund.

The DMs had visited the villages along with officials of all stakeholder departments and agencies such as DDA, MCD, public works and irrigation and flood control departments, and Delhi Jal Board, among others.

"The DMs shared their experiences and apprised the LG of the feedback from ground. The major issues that have come to fore include lack of civic infrastructure, connectivity and sanitation," said a Raj Niwas official, adding that the LG has issued clear directions that the work should be started to address the issues within the shortest possible time frame so that people start benefiting from them immediately.

The DMs will also undertake field visits to the villages every Saturday.

The Officials informed LG that the work to provide piped gas to all villages was in advance stages. While 69 villages had already been provided with the gas pipeline, work was expected to be completed in 39 within a month and surveys were being conducted in 142 villages.

HC: Why '600-Yr-Old' Mosque Demolished?

Asks DDA If Prior Notice Was Given Before Action

Abhinav.Garg
@timesgroup.com

The court was hearing an urgent plea by Delhi Waqf Board, assailing the action taken by the land-owning agency for razing 'the 600-year-old' mosque

New Delhi: Delhi High Court has asked Delhi Development Authority to answer if it gave prior notice before demolishing a mosque in Mehrauli two days ago. In proceedings that took place on Wednesday, the court also directed DDA to explain the basis on which the decision to raze the property was taken. The order was made public on Thursday.

The court was hearing an urgent plea by Delhi Waqf Board, assailing the action taken by the land-owning agency for razing "the 600-year-old" mosque. The managing committee of the waqf board alleged that no prior notice was given to the imam of Akhonji Masjid.

Defending its move, DDA said the demolition action in respect of the concerned property was taken on the recommendations of the religious committee. It said the committee gave its recommendation on Jan 4. The agency further claimed that before the committee reached its conclusion and took the decision last month, it had already granted an opportunity of hearing to the CEO of the waqf board. It contested the stand of the petitioner board that the agency's action was illegal.

After a brief hearing, Justice Sachin Datta asked DDA to "file its reply within a period of one week clearly setting out the action that has been taken in respect of the concerned property and the basis thereof."

The court posted the matter for further hearing on Feb 12. It also agreed to examine on the next date the argument of the managing committee that "the religious committee has no jurisdiction to order any demolition action and the DDA's reliance on the recommendations is not legal".

On Jan 30, DDA carried out a demolition exercise in Mehrauli when its squad of bulldozers razed the mosque and nearby structures, terming them unauthorised constructions. It cited the mandate to rid the ridge of encroachments, as directed by the ridge management board.

Incidentally, in Sept last year, DDA had assured the court that it won't demolish any legitimate properties owned by the waqf board in and around Mehrauli Archaeological Park. The statement by DDA had led the court to dispose of a petition by the waqf board, which had apprehensions that while removing unauthorised structures, DDA was also clearing waqf properties.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
NAME OF NEWSPAPERS-- THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024

RESPONSE SOUGHT WITHIN A WEEK

Demolition of Mehrauli mosque: HC seeks explanation from DDA

Bench asks whether any prior notice was given before undertaking action

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 1

THE DELHI High Court has asked the Delhi Development Authority (DDA) to inform the court the basis on which Akhoondji Masjid – a mosque located in the city's Mehrauli area and believed to be centuries old – was demolished by the authority on January 30.

A single-judge bench of Justice Sachin Datta, in its January 31 order, said, "Let the DDA file its reply within a period of one week clearly setting out the action that has been taken in respect of the concerned property and the basis thereof and as to whether any prior notice was given before taking the demolition action".

DDA's counsel had submitted that the demolition action was taken pursuant to the "recommendations of the Religious Committee". It was submitted that prior to taking the decision on the demolition on January 4, the committee had given an "opportunity of hearing to the CEO of Delhi Waqf Board".

The mosque was demolished by the authority on January 30.

The petitioner, the Managing Committee of the Delhi Waqf Board represented by advocate Shams Khwaja, had "vehemently" submitted that the Religious Committee has "no jurisdiction to order any demolition action".

Justice Datta, thereafter, said this aspect shall be considered on the next date of hearing and listed the matter on February 12.

The HC was hearing an application for interim relief pertaining to the demolition of the mosque, the Behrul Uloom madrasa, and various graves, filed in a 2022 pending matter.

Speaking to The Indian Express, Zakir Hussain, who has been the mosque's Imam for the last 1.5 years, had said, "We were barely given 10 minutes to gather our things before the machines came and demolition started".

The rubble from the demolition was collected and disposed of almost immediately, *The Indian Express* had reported Thursday.

Locals claim the mosque was built during Razia Sultana's reign.

TELLS DDA, MCD

Capital has become a slum, stop passing the buck: HC

MALAVIKA PRASAD
NEW DELHI, FEBRUARY 1

THE DELHI High Court Thursday told the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and Delhi Development Authority (DDA) to stop "passing the buck" to each other while expressing its concern over their "failure" to act against "unauthorised construction" near Nizamuddin ki Baoli and Barakhamba Tomb, which are centrally protected monuments.

The HC was hearing a PIL moved by NGO Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society claiming that "illegal and unauthorised construction" was being done at 'Khasra no. 556 Ziyrat guest house' near the *baoli*.

A division bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora orally said, "You (MCD and DDA) are supposed to function as one. You are two authorities working simultaneously at the highest position... It is a very sad state of affairs you've reduced the city to... Too much unauthorised construction is going on... This *jugalbandi* that's going on needs to be stopped. What are you doing to this city? It's become a slum. This is happening in New Delhi area..."

The MCD counsel submitted that "despite the first and second floor of the property being sealed", the erstwhile owner had sold the property to another person (the present owner on the third, fourth and fifth floors of the property), "even though the land belongs to DDA".

"This court finds it surprising that encroachment of public land, illegal and unauthorised construction at such a massive scale has taken place in the heart of Delhi virtually under the nose of officials of MCD, DDA, ASI and Police. This court is of the prima facie view that the matter requires to be investigated by the CBI," the HC said and directed the present owner to appear before it on the next date of hearing.

"This ping pong will stop once we get the CBI in. DDA and MCD officials will get active. You are both passing the buck to each other... Between the two, someone had to take a decision and one of the respondents has failed us. Who has failed us, that we will come to know through CBI. You are turning your backs to this. This is not acceptable," the bench orally said. The matter is next listed on February 7.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024
NAME OF NEWSPAPERS--DATED---------------------

Green belt adjacent to Vijay Ghat and Shanti Van to be beautified

Vibha.Sharma
@timesgroup.com

New Delhi: Continuing its efforts to revamp the area around samadhis on Ring Road, Delhi Development Authority (DDA) has finalised a plan for streetscaping and beautification of the green belt and service road next to Vijay Ghat and Shanti Van.

"The project is waiting for some technical approvals, after which work will start at the site soon. We aim to increase plantation and install artefacts, rock sculptures, decorative lights and fountains. Other beautification work will also be carried out to improve aesthetics," an official said, adding that DDA is aiming to complete the project by March.

The green belt lies between Mahatma Gandhi Marg and the service lane adjacent to the memorial at Vijay Ghat and Shanti Van on its eastern side. On the western side lie Red Fort and Shahjahanabad, the old walled city.

"The width of the green belt is about 26 metres. A sandstone-clad toe wall, which is nearly 400mm high, surrounds the green belt. The green belt stretch is 700 metres long along Vijay Ghat and 600 metres long along Shanti Van," said the official.

At present, on the side of the service lane, an open drain runs parallel at the edge of the green belt. "Revamp work will be carried out between two locations — location A and B — where connectivity between Mahatma Gandhi Marg and service lane exists," said the official.

To give a new lease of life to the green area on Red Fort's rear side along Mahatma Gandhi Marg and nearby parks in Walled City, DDA has already prepared a plan for a comprehensive makeover.

DDA is working on a plan to revamp four parks — Dilli Chalo, Ghata Masjid, Urdu Academy and Sadbhavna Park — spread over 37 acres and about 1.7km long along Ring Road. Work on these is expected to begin in February. Recently, the details were discussed and a deadline was fixed in a meeting headed by the lieutenant governor and DDA chairman V K Saxena with officials. There is a target to complete the work in phases, beginning with June this year.

"The project goes in line with Kartavya Path and aims to provide similar recreational opportunities for the public. The LG has been monitoring it regularly," stated the authority.

File Photo For Representation

TIME FOR A MAKEOVER: Outside Vijay Ghat

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट ने कहा-झुग्गी-बस्ती बन गया है शहर

- अदालत ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण की खिंचाई की
- कहा-इतना अवैध निर्माण चल रहा है कि दूर से ही दिखता है
- डीडीए की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए गेस्ट हाउस के मामले में चल रही थी सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राजधानी में अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर तल्ख टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शहर एक झुग्गी बस्ती बन गया है। दिल्ली के केंद्र में स्थित संरक्षित स्मारक निजामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की खिंचाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को एक-दूसरे पर दोष मढ़ना बंद करना चाहिए। बहुत दुखद है कि आपने शहर को इस स्तर पर पहुंचा दिया है। अदालत ने कहा कि दिल्ली के साथ ऐसा न करें। यह एक बस्ती बन गई है।

अदालत ने ये गंभीर टिप्पणियां डीडीए की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए गेस्ट हाउस की ऊपरी मंजिल पर किए गए अवैध निर्माण से जुड़े मामले में कीं। उस गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया था। अदालत ने इमारत के मालिक को पेश होने के लिए कहते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने की जरूरत है। सीबीआइ के एक्शन में आने के बाद अधिकारियों का आपस में दोष मढ़ना बंद हो जाएगा। अदालत ने कहा कि उन्हें इस तरह का निर्माण करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए थी। साथ ही सवाल उठाया कि जब नई दिल्ली क्षेत्र में यह हो रहा है तो दूरदराज के इलाकों में क्या हो रहा होगा? मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।

अदालत ने कहा कि इतना अनधिकृत निर्माण चल रहा है कि यह एक किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता है। अदालत ने इमारत के मालिक के वकील से यह बताने के लिए भी कहा कि अधिकारियों द्वारा निचली मंजिलों को डी-सील नहीं करने के बावजूद दूसरी और पांचवीं मंजिल के बीच निर्माण कैसे हो गया? अदालत जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में दावा किया गया है कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास गेस्ट हाउस में अवैध और अनधिकृत निर्माण किया जा रहा था।

> इतना अनधिकृत निर्माण चल रहा है कि यह एक किलोमीटर से ही दिखाई देता है। जब नई दिल्ली क्षेत्र में यह हो रहा है तो दूरदराज के इलाकों में क्या हो रहा होगा?
> - दिल्ली हाई कोर्ट

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 2 फरवरी 2024

सरकार के चीफ सेक्रेटरी करेंगे इस कमिटी की अध्यक्षता

यमुना के फ्लडप्लेन से अतिक्रमण हटाने के लिए बनी हाई लेवल कमिटी

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ नई दिल्ली: नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यमुना नदी के फ्लडप्लेन से अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जों के सफाए के लिए एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया है। कमिटी की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी करेंगे। जस्टिस सुधीर अग्रवाल की अगुवाई वाले ग्रीन पैनल ने कमिटी में डीडीए प्रतिनिधि, पर्यावरण विभाग के सचिव, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव, नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) और एमसीडी कमिश्नर को शामिल किया है। कमिटी की जिम्मेदारी यह होगी कि वह स्पॉट का इंस्पेक्शन कर सुनिश्चित करे कि संबंधित इलाके में यमुना के डूब इलाके का परिसीमन हो रखा हो। फिर सुझाव दे कि कैसे नदी के बाढ़ वाले इलाके से अनधिकृत कब्जों और अतिक्रमण को हटाया जाए और उसे ऐसी गतिविधियों से बचाया जाए। इस काम को पूरा करने के बाद कमिटी एनजीटी को अपनी रिपोर्ट देगी।

एनजीटी ने पर्यावरण विभाग के डायरेक्टर द्वारा पेश जॉइंट कमिटी की रिपोर्ट पर गौर करते हुए यह आदेश पारित किया। सीनियर अधिकारी ने ट्रिब्यूनल से कहा कि अथॉरिटीज की तमाम मीटिंग में लिए गए फैसलों के आलोक में कदम उठाने के लिए उन्हें 12 हफ्तों का समय चाहिए। ट्रिब्यूनल ने इस पर भी गौर किया कि डीडीए के मुताबिक, 'O' जोन को अधिसूचित किया जा चुका है। 1:25 यार्ड फ्लडप्लेन का डिमार्केशन हो गया है। 'O' जोन के अंतर्गत 9700 हेक्टेयर इलाका आ रहा है। जबकि, यमुना का संभावित इलाका 1146 हेक्टेयर है। 'O' जोन वाले फ्लडप्लेन पर कई अनधिकृत कॉलोनियां है। कमिटी ने सारे काम पूरा करने के लिए 12 हफ्तों का समय मांगा। हालांकि, मामले की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए एनजीटी को अंतर-विभागीय समन्वय की बहुत जरूरत लगी। इसीलिए, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी के मेंबर सेक्रेटरी, जल शक्ति मंत्रालय, एनएमसीजी, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और एमसीडी कमिश्नर को प्रतिवादी के तौर पर इसमें शामिल करते हुए नोटिस जारी किया। उन्हें एक महीने के भीतर इस पर जवाब देना है। मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।

NBT Lens
समझिए खबरों के अंदर की बात

अतिक्रमण हटाना क्यों ज़रूरी?

यमुना नदी के किनारे पर हुआ अतिक्रमण न सिर्फ यमुना के बाधा रहित बहाव के लिए बल्कि यमुना की सफाई के लिए भी जरूरी है। पिछले साल यमुना मे आयी बाढ़ की एक वजह ये भी मानी गई थी कि इसके दोनो छोर पर बने फ्लडप्लेन एरिया मे भारी अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण की वजह से ही नदी के प्रदूषण मे भी बढ़ोतरी होती है। अतिक्रमण करके बनी बस्तियो का सारा कूड़ा करकट और गंदगी बहकर यमुना मे ही आती है। हालाकि पिछले कुछ सालो मे यमुना के कुछ हिस्सो से अतिक्रमण हटाया गया है लेकिन अभी भी नदी पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नही है।

योजनाएं नहीं चढ़ रहीं परवान, तिहाड़ झील बनी सूखा मैदान

■ राजेश पोद्दार, तिहाड़

हरि नगर इलाके में आने वाली तिहाड़ झील अब सूख चुकी है। यहां पानी भरने के लिए की गई सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। डीडीए की तरफ से इस झील को रीडिवेलप करने का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन वह जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। हालांकि यहां पर रेस्टोरेंट और कैफे बनाए गए हैं, जिसके बाद से लोगों का फिर से आना शुरू हो गया है।

रेस्टोरेंट और कैफे बनाए गए, लेकिन झील बदहाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल भी डीडीए की तरफ से झील में पानी जमा करने के लिए दो एमजीडी क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाया जाना था। प्लान था कि आसपास के पानी को ट्रीट कर इस झील मे छोड़ा जाएगा। इसके अलावा झील में ग्राउंड वॉटर को भी रिचार्ज किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हो सका।

स्थानीय निवासी दिनेश जैन ने बताया कि तिहाड़ झील पहले आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन अब पिछले कई साल से बदहाल है। अब झील एक सूखे मैदान की तरह दिखाई पड़ती है।

अफसरों ने दिल्ली को स्लम बना दिया है: HC

■ विस, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली एक झुग्गी बस्ती बन गई है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से संरक्षित स्मारक-निज़ामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में विफलता के लिए एमसीडी और डीडीए की जमकर खिंचाई की।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम एस अरोड़ा की डिविजन बेंच ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे एक-दूसरे पर दोष मढ़ना बंद करें। आपने शहर को एक स्लम बन गया है। हाई कोर्ट एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था, जहां पहले से सील एक गेस्टहाउस की ऊपरी मंजिलों पर अनधिकृत निर्माण के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह गेस्ट हाउस निजामुद्दीन स्मारकों के पास डीडीए जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था।

बारिश से टली नई बसों की लॉन्चिंग

■ विस, नई दिल्ली : नई इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग के प्रोग्राम पर एक बार फिर पानी फिर गया है। डीटीसी के सूत्रों से पता चला है कि तेज बारिश के बाद आयोजन स्थल बांसेरा के आस-पास जलभराव होने के कारण जगह-जगह कीचड़ इकट्ठा हो गया है। रिंग रोड पर सराय काले खां से बांसेरा तक जाने वाला रास्ता भी फिसलन भरा हो गया है। ऐसे में एलजी, सीएम और अन्य अतिथियों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए डीडीए ने आयोजन को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए परिवहन विभाग और डीटीसी प्रबंधन ने शुक्रवार को होने वाले नई बसों की लॉन्चिंग के प्रोग्राम को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

LG को गांवों की 5 बड़ी दिक्कतें बताएंगे DM, समाधान सुझाएंगे

■ विस, नई दिल्ली : ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के सभी 11 जिलों के डीएम पिछले महीने दो बार अपने-अपने क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में एक रात बिताकर गांवों की समस्याओं का जायजा ले चुके हैं। अब एलजी ने उन्हें दो दिन के अंदर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, जिसमें बताना होगा कि गांवों की 5 बड़ी समस्याएं क्या हैं और किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है। फरवरी में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, सभी प्रमुख विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, विभाग प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी गांवों का दौरा करेंगे और वहां एक रात रुककर ग्रामीणों के मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे।

गांवों में रात बिता चुके डीएम से LG ने दो दिन में मांगी रिपोर्ट

राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि गांवों का दौरा करने के बाद जिलाधिकारियों को मिले अनुभवों की समीक्षा करने के लिए एलजी वी.के. सक्सेना ने गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी। इसमें चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, डीडीए के वीसी, डिवेलपमेंट कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, एमसीडी कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी डीएम ने एलजी से अपने अनुभव साझा किए और उन्हें गांवों की जमीनी हकीकत और लोगों से मिले फीडबैक के बारे में जानकारी दी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली,2 फरवरी, 2024

एलजी ने डीएम से दो दिन में मांगी रिपोर्ट

दिल्ली ग्रामोदय अभियान

- गांवों का दौरा करने वाले डीएम से मांगी ग्रामीणों की पांच समस्याओं और उनके समाधान पर रिपोर्ट
- फरवरी के मध्य में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागों के प्रमुख गांवों का दौरा करेंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना ने जिलाधिकारियों से दो दिनों में ग्रामीणों की पांच बड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर रिपोर्ट देने को कहा है।

वीके सक्सेना ●

दरअसल, एलजी ने सभी डीएम द्वारा गांवों में उनके पिछले दो "संवाद" दौरों से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करने के लिए बृहस्पतिवार को बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य डीडीए के "दिल्ली ग्रामोदय अभियान" के तहत आगे का रास्ता तैयार करना था।

सक्सेना के निर्देश के तहत, सात-आठ और 27-28 जनवरी को चिन्हित गांवों का दौरा करने वाले डीएम ने गांव में रात भर रुकने के अलावा इन गांवों के निवासियों और पड़ोस के लोगों से उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में उनके अनुभव और प्रतिक्रिया को जाना। जिलाधिकारियों ने डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आइएंडएफसी) आदि सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों के अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों का दौरा किया था। बैठक के दौरान उन्होंने एलजी से अपने अनुभव साझा किए और उन्हें जमीनी हकीकत व वहां से मिली फीडबैक की जानकारी दी। इस दौरान सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों में नागरिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और साफ-सफाई की कमी आदि शामिल रहे। एलजी ने सलाह दी कि "दिल्ली ग्रामोदय अभियान" के तहत शुरू की जाने वाली इन परियोजनाओं को कम से कम समयसीमा में लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इनका लाभ तुरंत मिल सके। एलजी ने यह भी निर्देश दिया कि इस माह के मध्य में प्रस्तावित अगले दौरे में मुख्य सचिव के अलावा प्रधान सचिव, सचिव और विभाग प्रमुख स्वयं चिन्हित गांवों का दौरा करेंगे तथा वहां रातभर रुक कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे।

उन्होंने जिलाधिकारियों से हर शनिवार को गांवों में नियमित फील्ड विजिट करने को भी कहा। एलजी को बताया गया कि सभी गांवों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम अग्रिम चरण में है। 69 गांवों में पहले ही गैस उपलब्ध करा दी गई है, 39 गांवों में एक महीने के भीतर काम पूरा होने की उम्मीद है और 142 गांवों में सर्वे किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव के अलावा डिवीजनल कमिश्नर, डीडीए के उपाध्यक्ष व अधिकारी मौजूद रहे।

महरौली में मस्जिद ध्वस्त करने का आधार बताए डीडीए : हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को महरौली स्थित 600 साल पुरानी मस्जिद अखोनजी को ध्वस्त करने का आधार बताने को कहा है। मस्जिद में एक मदरसा भी था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने डीडीए से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि जवाब में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि क्या विध्वंस कार्रवाई करने से पहले कोई पूर्व सूचना दी गई थी।

अदालत ने यह निर्देश मदरसा बहरुल उलूम और विभिन्न कब्रों के साथ-साथ मस्जिद के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध एक आवेदन पर विचार करने के दौरान दिया। यह आवेदन दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा 2022 से लंबित याचिका पर दायर किया गया है। बोर्ड की प्रबंध समिति का कहना है कि मस्जिद और मदरसा को 30 जनवरी को ध्वस्त कर दिया गया था।

डीडीए ने सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया कि उक्त कार्रवाई धार्मिक समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। यह भी कहा कि उक्त निर्णय लेने से पहले धार्मिक समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का अवसर दिया था। वहीं, वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की ओर से पेश वकील ने कहा कि धार्मिक समिति के पास किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

निराशाजनक स्थिति

दिल्ली में अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट की नाराजगी सर्वथा उचित है। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास गेस्ट हाउस में अवैध और अनधिकृत निर्माण के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने डीडीए और एमसीडी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय एक-दूसरे पर दोष मढ़कर राजधानी को झुग्गी बस्ती बना दिया है। स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि एक किमी दूर से भी अवैध निर्माण दिखाई देता है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई नहीं करते।

> अवैध निर्माण को दिल्ली में किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, नियोजित और समयबद्ध तरीके से इसके विरुद्ध अभियान चलाया जाए

इसमें कोई दो राय नहीं कि अवैध निर्माण ने पूरी दिल्ली को बदसूरत बना दिया है। कहीं अधिकारियों कर्मचारियों का भ्रष्टाचार और मिलीभगत तो कहीं लापरवाही अवैध निर्माण को प्रश्रय दे रही है।

डीडीए जिस पर दिल्ली को नियोजित तरीके से बसाने का दायित्व था, वो अपनी भूमि पर ही अतिक्रमण और अवैध निर्माण होने से नहीं रोक पा रहा है। यही स्थिति एमसीडी की भी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन विभागों के उच्चाधिकारी भी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे रहे हैं, यही वजह है कि दिल्ली में अनियोजित कालोनियों और अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है और दिल्ली झुग्गी बस्ती जैसी दिखने लगी है। डीडीए और एमसीडी के उच्चाधिकारियों को चाहिए कि वे उनके विभाग द्वारा पूर्व में की गई गलतियों को जहां तक संभव हो सुधारें। अवैध निर्माण को दिल्ली में किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। नियोजित और समयबद्ध तरीके से इसके विरुद्ध अभियान चलाया जाना चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times । नई दिल्ली । शुक्रवार, 2 फरवरी 2024

Dilli Gramodaya Abhiyan: LG asks officials to visit villages

Sanjeev K Jha
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena on Thursday said that in February, all heads of department of the Delhi government, including the chief secretary, will visit remote villages in the Capital and stay there to take stock of the problems.

According to officials at the LG secretariat, this decision was taken in a review meeting with the district magistrates, who shared their experiences during the last two "Samvaad" visits to villages across the city to formulate the way forward under the "Dilli Gramodaya Abhiyan" of the Delhi Development Authority (DDA).

The meeting was also attended by the chief secretary, divisional commissioner, DDA vice-chairperson, development commissioner, principal secretary (PWD), chief executive officer (Delhi Jal Board), municipal corporation of Delhi (MCD) commissioner and other senior officials.

"Saxena directed that the next visit be planned by the middle of this month. Principal secretaries, secretaries, heads of department, apart from the chief secretary, will visit identified villages, and stay overnight to take stock of the situation. The LG also directed the DMs to submit a report listing the five most important issues being faced by the villagers in their respective districts within two days. They were also asked to enlist tangible projects to address them," said a senior officer of the LG secretariat, asking not to be named.

Saxena also asked the officials to complete all projects under the Dilli Gramodaya Abhiyan as soon as possible so that people could start benefitting from them.

The DMs, on LG's instructions, visited identified villages on January 7 and 8 and then on January 27 and 28. They stayed overnight and interacted with the villagers to get feedback about the problems.

Meanwhile, senior DDA officials said that overnight stays in remote villages will not only ensure the success of Dilli Gramodaya Abhiyan but will also provide field experience to the senior officers.

A senior DDA official said: "Earlier, many of our projects could not be completed due to a lack of coordination between various stakeholders. But now there will be a proper sync with the actual deficiencies and demands on the ground, we hope to complete it before time," he said, asking not to be named.

Ankita Anand, DM (northwest), said that staying in the villages was a unique experience. "In our area, two villages — Tatesar in Kanjhawala and Madanpur Dabas in Rohini areas were selected. During our stay, we solved some of the problems like the repair of roads and floodlights. We could also see the conditions of schools and community halls. And since all the stakeholders were present, the work was immediately assigned to the departments concerned," said Anand. She stayed at Tatesar on January 27 and 28.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला | नई दिल्ली | शुक्रवार, 2 फरवरी 2024

महरौली में पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करने का आधार स्पष्ट करने के निर्देश

600 साल पुराना है इबादतगाह, हाईकोर्ट ने डीडीए से मांगा स्पष्टीकरण

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 30 जनवरी को महरौली इलाके में 600 साल पुरानी मस्जिद, मस्जिद अखोनजी को ध्वस्त करने का आधार बताने का निर्देश दिया है। मस्जिद में एक मदरसा भी था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने डीडीए से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि क्या विध्वंस कार्रवाई करने से पहले कोई पूर्व सूचना दी गई थी। मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

अदालत ने मदरसा बहरुल उलूम और विभिन्न कब्रों के साथ-साथ मस्जिद के विध्वंस के खिलाफ दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। यह आवेदन दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा 2022 से लंबित निर्णय के तहत दायर याचिका में किया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने कहा कि मस्जिद और मदरसा को 30 जनवरी को ध्वस्त कर दिया गया। यह दावा किया गया है कि मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन और उनके परिवार को बिना आश्रय प्रदान किए उनकी झोपड़ी को भी ध्वस्त कर दिया गया। सुनवाई के दौरान डीडीए के वकील ने कहा कि विध्वंस की कार्रवाई चार जनवरी की धार्मिक समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई है। इसके अलावा उक्त निर्णय लेने से पहले धार्मिक समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का अवसर दिया था। दूसरी ओर दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की ओर से पेश वकील ने कहा कि धार्मिक समिति के पास किसी भी विध्वंस कार्रवाई का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।

अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मस्जिद ढहाई

नई दिल्ली। रिज प्रबंधन बोर्ड के आदेश के तहत डीडीए ने संजय वन को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद आरंभ की। इस कड़ी में एक मस्जिद ढहा दिया गया। यहां मदरसा भी चल रहा था। डीडीए के अनुसार, संजय वन आरक्षित है। दक्षिणी रिज में यह 780 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। रिज प्रबंधन बोर्ड ने रिज क्षेत्र को सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया है। संजय वन में अतिक्रमण का आकलन करने के लिए डीएम दक्षिणी दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने संजय वन से विभिन्न अवैध संरचनाओं को हटाने का सुझाव दिया था। ब्यूरो

अब गांवों में प्रवास करेंगे मुख्य और प्रधान सचिव

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व अन्य अधिकारी फरवरी के मध्य में गांव में प्रवास करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और संबंधित विभाग के साथ मिलकर उक्त समस्याओं को दूर करवाएंगे।

दरअसल, बृहस्पतिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान की समीक्षा की। इसमें जिलाधिकारियों के पिछले 2 संवाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली गई। बैठक का उद्देश्य दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ मिलकर दिल्ली ग्रामोदय अभियान को आगे बढ़ना है। बैठक के दौरान उन्होंने उपराज्यपाल से अपने अनुभव साझा किए और उन्हें जमीनी हकीकत और वहां से मिली फीडबैक की जानकारी दी। इस दौरान सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों में नागरिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और साफ सफाई की कमी सहित अन्य शामिल रहे। ब्यूरो

millenniumpost
FRIDAY, 2 FEBRUARY, 2024 | NEW DELHI

L-G reviews update of 'Dilli Gramodaya Abhiyan' from DMs

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Lieutenant Governor VK Saxena reviewed the update of "Dilli Gramodaya Abhiyan" from District Magistrates during a meeting held on Thursday, said sources from Raj Niwas.

The meeting was held in the presence of the Delhi Chief Secretary, Naresh Kumar, Divisional Commissioner, Delhi Development Authority (DDA) Vice Chairperson, Development Commissioner, Public Works Department (PWD) Principal Secretary, Municipal Corporation of Delhi (MCD) Commissioner, all District Magistrates and other senior officials.

During the meeting, Saxena instructed the DMs to submit a report of the five most significant issues in their respective districts within two days.

The DMs had initially been instructed to visit the identified village on January 7-8, and January 27-28 to interact with the residents and understand their experiences and problems. They were accompanied by officials of the DDA, MCD, PWD, Delhi Jal Board (DJB) and Irrigation and Flood Control Department (I&FC).

The visiting officials were expected to stay overnight for the interaction, so that the feedback could ensure that the Abhiyaan, being implemented by the Delhi Development Authority (DDA), is aware of the actual deficiencies and demands of the villages, the sources mentioned.

"It was informed that the work of providing piped gas to all the villages was in advance stages, wherein 69 villages had already been provided with the same, 39 villages where work was expected to be completed within a month and 142 villages where surveys were being conducted," they added.

The L-G also directed another visit to the villages by the middle of February. The Chief Secretary, along with Principal Secretaries, Secretaries, and Heads of Departments will visit the identified villages and stay overnight to take feedback from the residents.

Additionally, Saxena has asked the DMs to conduct regular field visits to the villages on Saturdays, said Raj Niwas sources.

Key Points

- During the meeting, Saxena instructed the DMs to submit a report of the five most significant issues in their respective districts within two days
- The DMs had initially been instructed to visit the identified village on January 7-8, and January 27-28 to interact with the residents and understand their experiences and problems

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NA 2 फरवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

अधिकारी दो दिन में अपने अनुभवों की रिपोर्ट पेश करें: एलजी

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत ग्रामीण विकास की धारा में शामिल किए गए दो गावों के विकास की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह दो दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करें। मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभाग प्रमुख फरवरी के मध्य में गावों का दौरा करके रात को वहीं रुकें। बैठक में उप-राज्यपाल ने पुरानी बैठकों के अनुभवों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विकास का रोडमैप तैयार करना है। दरअसल दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत अधिकारी दो चरण में अब तक गावों में रात्रिवास कर चुके हैं।

■ ग्रामीण विकास को लेकर अधिकारियों के साथ उप राज्यपाल ने की समीक्षा

■ फरवरी के मध्य में मुख्य सचिव,प्रधान सचिव, विभाग प्रमुख गावों का दौरा करें

उप-राज्यपाल ने अधिकारियों से गावों के दौरे के बारे में अधिकारियों से अनुभव जाना। उन्होंने डीडीए के अधिकारियों से कहा है कि वह आगे का कार्य शुरू करें। जिससे गावों की समस्याओं का समाधान हो सके। बैठक में जिलाधिकारी, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने उप-राज्यपाल के साथ अपने अनुभव साझा किए। गावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए उप-राज्यपाल ने सिलसिलेवार सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया। उप-राज्यपाल ने ग्रामीण इलाकों में साफ-सफाई पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी अब तक ताजा रिपोर्ट तैयार कर पेश करें। उप-राज्यपाल ने अधिकारियों को सलाह दी है कि गावों के लिए तैयार विकास योजनाएं निर्धारित समय सीमा के साथ शुरू होकर समय पर पूरी हों। अधिकारियों के फीडबैक पर उन्होंने उम्मीद जताई है कि 39 गावों में एक महीने के भीतर काम पूरा हो जाएगा। जबकि 142 गावों का सर्वे शुरू कर दिया गया है।

अखोनजी मस्जिद को तोड़ने का आधार बताए डीडीए : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से 30 जनवरी को महरौली इलाके में सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिद अखोनजी को तोड़ने का आधार बताने को कहा है। मस्जिद में एक मदरसा भी था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह छह सौ साल पुराना था।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने डीडीए से इस मुद्दे पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है और सुनवाई 12 फरवरी के लिए स्थगित कर दी है। उन्होंने डीडीए से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या मस्जिद को तोड़ने से पहले उसकी सूचना दी गई थी। उन्होंने यह निर्देश मदरसा बहरु ल उलूम और विभिन्न कब्रों के साथ-साथ मस्जिद को तोड़ने के खिलाफ दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। यह अर्जी दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की ओर से वर्ष 2022 से लंबित याचिका में दाखिल की गई है।

■ डीडीए स्पष्ट करे कि क्या मस्जिद को तोड़ने से पहले उसकी सूचना दी गई थी : हाईकोर्ट

दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने कहा कि मस्जिद और मदरसे को 30 जनवरी को तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही उसके इमाम जाकिर हुसैन और उनके परिवार को बिना आश्रय दिए उनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया। सुनवाई के दौरान डीडीए के वकील ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई 4 जनवरी की धार्मिक समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई है। इसके अलावा उक्त निर्णय लेने से पहले धार्मिक समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का अवसर दिया था।

दूसरी ओर दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की ओर से पेश वकील ने कहा कि धार्मिक समिति को किसी भी निर्माण को तोड़ने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा।

the pioneer FEBRUARY 2, 2024

LG chairs meet to review DMs experiences in 'Samvaad' visits

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lt Governor (LG) VK Saxena on Thursday chaired a meeting to review the experiences gathered and gained by the District Magistrates (DMs) over their last two "Samvaad" visits to villages across the city aimed at formulating the way forward under the "DilliGramodayaAbhiyan" of the Delhi Development Authority(DDA).

The major issues including lack of civic infrastructure, connectivity and sanitation came to the fore in the feedback to Saxena.

The DMs had visited identified villages on January 7-8 and January 27-28 and stayed the night over, apart from interacting with the residents of these villages and those in the neighbourhood, to get a first-hand experience and feedback about the problems faced by them.

The LG had instructed for this exercise to be undertaken so that developmental and upgradation projects under the recently launched "DilliGramodayAbhiyan" being implemented by the DDA, could be in sync with the actual deficiencies and demands on ground.

The DMs, who had visited these areas along with officials of all stakeholder departments / agencies like DDA, MCD, PWD, DJB and I&FC shared their experiences and apprised the LG of the feedback from ground.

The LG directed the DMs to submit a report listing five most important issues being faced by the villages in their respective districts within two days and also enlist tangible projects to address them. He advised that these projects to be undertaken under the "DilliGramodayaAbhiyan", should be implemented within the shortest possible timeframe so that people could start benefitting from them immediately.

Saxena also directed that in the next visit to be planned by the middle of this month, Principal Secretaries / Secretaries / HoDs, apart from the Chief Secretary himself will visit identified villages, stay the night over and take stock of the situation on ground. He further asked the DMs to undertake regular field visits in the villages every Saturday.

It was informed that the work of providing piped gas to all the villages was in advance stages, wherein 69 villages had already been provided with the same, 39 villages where work was expected to be completed within a month and 142 villages where surveys were being conducted.

Those present in the meeting included the Chief Secretary, Divisional Commissioner, VC (DDA), Development Commissioner, Principal Secretary (PWD) / CEO (DJB), Commissioner (MCD), all DMs and other senior officials.

दैनिक भास्कर

डीडीए ने महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद को ढहाया, मदरसे पर भी चलाया बुलडोजर

भास्कर न्यूज़|नई दिल्ली

महरौली में 30 जनवरी की सुबह 600 साल पुरानी मस्जिद और मदरसे को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भारी सुरक्षा बल की मदद से ढहा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, महरौली की अखूंदजी मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसे का निर्माण रजिया सुल्तान के शासनकाल में करवाया गया था। मस्जिद के इमाम का आरोप है कि डीडीए ने मंगलवार को गुपचुप तरीके से बुलडोजर चलाकर मस्जिद और मदरसे को ढहा दिया। डीडीए अधिकारियों ने कहा, इन दिनों संजय वन क्षेत्र में अवैध निर्माण तोड़ने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान आरक्षित क्षेत्र में पड़ने वाले मंदिर, मस्जिद और दरगाह तोड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में मदरसे और मस्जिद को अवैध मिलने पर तोड़ दिया गया।

न्यूज़ ब्रीफ

एलजी ने जिलाधिकारियों के साथ की ग्रामोदय अभियान की समीक्षा

नई दिल्ली | एलजी वीके सक्सेना ने जिलाधिकारियों को ग्रामीणों की 5 बड़ी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में दो दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एलजी ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभाग के प्रमुखों को आदेश दिया है कि फरवरी मध्य में गांवों का दौरा कर वहां पर रुकेंगे। एलजी सक्सेना ने जिलाधिकारियों द्वारा शहर के गांवों में उनके पिछले 2 "संवाद" दौरों से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य डीडीए के 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत आगे का रास्ता तैयार करना था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी DELHI ▸ 2 फरवरी, 2024 ▸ DATED-

दो दिनों में ग्रामीणों की पांच बड़ी समस्याएं व उनके समाधान पर रिपोर्ट दें जिलाधिकारी : एलजी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने जिलाधिकारियों से दो दिनों में ग्रामीणों की पांच बड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल, सक्सेना ने सभी जिलाधिकारियों द्वारा गांवों में उनके पिछले दो 'संवाद' दौरों से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत आगे का रास्ता तैयार करना था। एलजी सक्सेना के

निर्देशों के तहत, सात-आठ और 27-28 जनवरी को चिन्हित गांवों का दौरा करने वाले जिलाधिकारियों ने गांव में रात भर रुकने के अलावा इन गांवों के निवासियों और पड़ोस के लोगों से उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में उनके अनुभव और प्रतिक्रिया को जाना। जिलाधिकारियों ने डीडीए, दिल्ली नगरनिगम (एमसीडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जल बोर्ड (डीजेबी) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी) आदि सभी संबंधित विभागों/ एजेंसियों के अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों का दौरा किया था। बैठक के दौरान उन्होंने उपराज्यपाल से अपने अनुभव साझा किए और उन्हें जमीनी हकीकत तथा वहां से मिली फीडबैक की जानकारी दी। इस दौरान सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों में नागरिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और साफ सफाई की कमी आदि शामिल रहे। उपराज्यपाल ने सलाह दी कि 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत शुरू की जाने वाली इन परियोजनाओं को कम से कम समय-सीमा में लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इनका लाभ तुरंत मिल सके। सक्सेना ने यह भी निर्देश दिया कि इस महीने के मध्य में प्रस्तावित अगले दौरे में, मुख्य सचिव के अलावा प्रधान सचिव/सचिव/विभाग प्रमुख स्वयं चिन्हित गांवों का दौरा करेंगे और वहां रात भर रुक कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे।